अंकित गौरहा

प्रदेश महासचिव - युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़
पूर्व सदस्य - जिला पंचायत बिलासपुर
पूर्व सभापति - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
पूर्व उपाध्यक्ष व प्रवक्ता - जिला कांग्रेस कमेटी, बिलासपुर

Mob. : 9584699999
9300276665
E-mail : ankit.gourha@gmail.com

दिनांक 04-02-2026

क्रमांक.....

प्रति,

संयुक्त संचालक शिक्षा,
जिला बिलासपुर (छ॰ग॰)

विषयः— जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर और विधि खण्ड प्रभारी द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश को आधार बनाकर किए गए गलत पदोन्नति (टंकेश्वर जगत और अन्य) की शिकायत बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का हवाला देते हुए विभिन्न प्रमोशन आदेश जारी किए गए है, जो की संचालक द्वारा दिए गए आदेश के सर्वथा विपरीत है, साथ ही केवल चिन्हित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए खेला गया खेल है। इसके संबंध में समस्त तथ्यों के साथ यह आवेदन आपके समक्ष इस विश्वास के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, कि हाईकोर्ट स्टेट नोडल और संभाग प्रभारी होने के नाते आपके द्वारा उच्च कार्यालय और स्कूल शिक्षा विभाग की गरिमा को बनाए रखने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आपके द्वारा उच्च कार्यालय के नाम पर जारी किए गए समस्त गलत आदेशों को रद्द करते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो मैं मजबूरन में हाई कोर्ट की शरण लेने को मजबूर होऊंगा।

तथ्यः—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 12402 दिनांक—27.12.2024 को सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया था, जिसके माध्यम से कुल 162 सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक पद पर प्रमोशन किया गया था।

(2) संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 8 जनवरी 2026 को पत्र जारी का सभी संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति में छूट गए पात्र शिक्षकों को पदोन्नति देने की बात कही गई थी, और यह पत्र उन शिक्षकों के संबंध में थे, जिनकी पदस्थापना विभागीय गलतियों के कारण नहीं हो पाई थी।

(3) इसी पत्र को आधार बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर द्वारा 20 मार्च 2026 को टंकेश्वर जगत, फुलेश सिंह, ईश्वरी ध्रुव, हेमलता पटेल और आस्था गौरहा की पदोन्नति कर दी गई और बिल्हा ब्लॉक के स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया।

(4) गौरतलब है, कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 27.12.2024 को जिला स्तरीय वरिष्ठता क्रम के आधार पर 162 शिक्षकों की पदोन्नति की गई थी। और इसके पश्चात अभी यानी 2 साल बाद 20 मार्च 2026 को हेमलता पटेल जिनका जिला वरिष्ठ क्रमांक 165, ईश्वरी ध्रुव का 166, आस्था गौरहा का 167, फुलेश सिंह का 170 और टंकेश्वर जगत का 171 था, पदोन्नति आदेश जारी किया गया।

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग
दि. 04/02/26
बिलासपुर (छ.ग.)

:: कार्यालय ::
रुद्र विहार कालोनी, वार्ड नं. 57, अशोक नगर, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)

(5) वही इनसे ऊपर वरिष्ठता क्रमांक में होने के बावजूद मामला न जमने के कारण जिला वरिष्ठता क्रमांक 163 में स्थित देवी नारायण पटेल, 164 चमेली साहू, 168 शत्रुहन कुमार जांगड़े, 169 भानु केसरी का पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया। इससे साफ पता चलता है, केवल उन्हीं लोगों को चिन्हांकित करके पदोन्नति दी गई जिन्हें लाभ पहुंचाना था, और जिनसे मामला जम गया था।

(6) इस पदोन्नति के लिए न तो किसी प्रकार की काउंसलिंग की गई, न जिले में रिक्त सभी पदों पर पदोन्नति दी गई और न 29.3.2023 के निर्देशों का पालन किया गया, बल्कि कुछ लोगों का चुपचाप आदेश जारी कर दिया गया और संबंधित शिक्षकों को चांटीडीह, मटियारी, खुड़ीयाडीह, मंजूरपहरी और पासीद स्कूल में पदस्थ कर दिया गया। इससे स्पष्ट है, कि राज्य सरकार के आदेश को आधार बनाकर गलत तरीके से पूरा खेल खेला गया है, और भ्रष्टाचार का यह खेल पूरी तरह से जांच और कड़ी कार्यवाही का विषय है।

अतः आपसे निवेदन है, कि उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए 15 दिवस के भीतर इस पर उचित कार्यवाही करते हुए मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें ऐसा नहीं होने की स्थिति में आपके द्वारा भी दोषी अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण दिया हुआ मानकर मेरे द्वारा लोकायुक्त और माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी।

भवदीय

अंकित गौरहा